



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार-249404

Website: psc.uk.gov.in

विज्ञापन संख्या—A-4/DR(SO)/S-1/2025

वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षा—2025

विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि	—	24 दिसम्बर, 2025
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि		दिनांक 30 दिसम्बर, 2025
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	—	दिनांक 19 जनवरी, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI Payment द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	—	दिनांक 19 जनवरी, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु समय	—	दिनांक 27 जनवरी, 2026 से दिनांक 5 फरवरी, 2026 तक (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंटआउट के साथ आयोग कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि	—	दिनांक 20 फरवरी, 2026 (सांय 6.00 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

1.	उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 32/XXXVI(3)/2023/04(01)/2023 दिनांक 11 फरवरी, 2023 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4 के पत्रांक-16/XXX(4)/2023-03(27)/2022 दिनांक 13 फरवरी, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम -2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
2.	अभ्यर्थी द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना अनिवार्य है। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा धारित करना आवश्यक है।
3.	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 19 जनवरी, 2026 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं, अन्य अर्हताएं एवं वांछित अनुभव अवश्य धारित करते हों। सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 (यथा संशोधित-2024) के क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing

	<p>Date) से किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Detail) के विवरण में, Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन अवश्य करें।</p> <p>विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।</p>
4.	<p>फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की इस परीक्षा से व समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। प्रवेश-पत्र पर लिखना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।</p>
5.	<p>प्रश्नगत परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। अपूर्ण आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।</p>
6.	<p>प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से दिया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।</p>
7.	<p>ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/दिव्यांगजन श्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत केवल एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या-13 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जायेगा।</p> <p>अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन/परिवर्तन किए जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व आवश्यक संशोधन अनिवार्य रूप से कर लें। उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।</p>
8.	<p>ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online Application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन-पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् ही "Online Application" की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक</p>

	प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
9.	<p>अभ्यर्थी वैज्ञानिक अधिकारी पद के अन्तर्गत एक से अधिक अनुभागों हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में पृथक-पृथक अनुभागों/पदों का चयन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में ही सम्बन्धित आवेदित अनुभाग का उल्लेख किया जाना होगा। प्रत्येक आवेदन के सापेक्ष अभ्यर्थी को पृथक-पृथक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।</p> <p>एक से अधिक अनुभागों के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने की दशा में साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को अनुभागों हेतु वरीयता प्रपत्र (Preference Sheet) प्रस्तुत करना होगा, जो कि साक्षात्कार के पूर्व आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।</p>
10..	<p>अभ्यर्थियों से वैज्ञानिक अधिकारी पद के अन्तर्गत एक अनुभाग हेतु एक ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जायेगा। अभ्यर्थी एक अनुभाग हेतु एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा संबंधित पद हेतु आवेदित इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन निरस्त (Cancel) कर, पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।</p>
11.	<p>अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ समस्त स्वहस्ताक्षरित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अनुभव, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, स्थाई-निवास, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति आदि से संबंधित परिशिष्ट-7 में उल्लिखित चैकलिस्ट के अनुसार प्रत्येक आवेदित पदों के सापेक्ष पृथक-पृथक ऑनलाइन आवेदन पत्र व समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट की छायाप्रति, सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार कार्यालय में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/कोरियर/किसी अन्य माध्यम से अथवा आयोग कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर, निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 20 फरवरी, 2026 समय सायं 6:00 तक जमा कराना अनिवार्य है।</p> <p>समस्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर परीक्षा और पद का नाम अवश्य अंकित करें। डाक विभाग की किसी भी देरी के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जो अभ्यर्थी एक से अधिक पदों/अनुभागों हेतु आवेदन करेंगे, वे आवेदित पदों हेतु पृथक-पृथक ऑनलाइन आवेदन पत्र व समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय को निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी आवेदन-पत्र के लिफाफे के ऊपर परीक्षा एवं आवेदित पद के नाम का अंकन अवश्य करें। डाक विभाग की किसी भी देरी के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।</p>
12.	<p>प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जायेगी, परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष मानक से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में छंटनी हेतु साक्षात्कार से पूर्व हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्रों पर स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित किये जाने की दशा में स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।</p>
13.	<p>अभ्यर्थी स्क्रीनिंग परीक्षा के पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट-1, न्यूनतम अर्ह अंकों के लिए परिशिष्ट-2, उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रारूप हेतु परिशिष्ट-3, अनिवार्य एवं अधिमानी अनुभव प्रमाण पत्र हेतु परिशिष्ट- 4(क) एवं 4(ख) दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश परिशिष्ट-5 एवं 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में दिशानिर्देश परिशिष्ट-6, प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों की चैकलिस्ट हेतु परिशिष्ट-7, नाम में भिन्नता के संबंध में स्वघोषणा के प्रारूप हेतु</p>

	परिशिष्ट-8 का अवलोकन करें।
14.	<p>प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।</p> <p>अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई-मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई0 डी0 ही आवेदन-पत्र में भरें।</p>
15.	<p>साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) विज्ञापन में उल्लिखित प्राविधानुसार सम्पादित की जायेगी तथा साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा-शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन भी किया जायेगा।</p>
16.	<p>दिव्यांग अभ्यर्थी उक्त पदों हेतु चिन्हित श्रेणी (HH/PD, OL) की निःशक्तता से ग्रस्त होने पर अनारक्षित पद के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं, भले ही उनके लिए कोई रिक्ति आरक्षित हो या न हो। उक्त श्रेणी के निःशक्तता से ग्रस्त ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता के सामान्य मानकों द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु चुने जाने के लिए विचार किया जायेगा, परन्तु दिव्यांगजन को सरकारी सेवा में प्रवेश के समय दिव्यांगता की श्रेणी से भिन्न सामान्य स्वास्थ्य उपयुक्तता का प्रमाण पत्र नियमानुसार नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>दिव्यांगजन अभ्यर्थी श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्राप्त करने हेतु भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी दिव्यांगता की श्रेणी/उपश्रेणी का अंकन अवश्य करें, अन्यथा अभ्यर्थी को श्रुतलेखक/अन्य सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।</p>
17.	<p>प्रश्नगत परीक्षा में श्रेणीवार/उपश्रेणीवार स्क्रीनिंग परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा के न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।</p>
18.	<p>प्रश्नगत पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः औपबन्धिक होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा प्रारम्भिक स्तर पर ही उसका आवेदन अस्वीकार किया जाना चाहिए था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि आयोग द्वारा अन्तिम रूप से चयन के उपरान्त अभ्यर्थी की संस्तुति प्रेषित की जा चुकी हो, तो उक्त स्थिति में भी आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जाएगी।</p>

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड शासन, गृह विभाग के अन्तर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड, देहरादून में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाईन आवेदन (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं।

01. पदनाम: वैज्ञानिक अधिकारी (विधि विज्ञान प्रयोगशाला)
: Scientific Officer (FORENSIC SCIENCE LABORATORY)

02. अनुभागवार कुल रिक्त 03 पदों का विवरण:

क्र. सं.	पद का नाम	कुल	सामान्य	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
1.	वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी तथा प्राक्षेपिकी अनुभाग)	01	—	01	—	—	—
2.	वैज्ञानिक अधिकारी (प्रलेख परीक्षण अनुभाग)	01	—	—	—	01	—
3.	वैज्ञानिक अधिकारी (कम्प्यूटर फॉरेंसिक अनुभाग)	01	01	—	—	—	—
कुल योग		03	01	01	00	01	00

रिक्तियों का श्रेणी/उपश्रेणीवार विवरण:

क्र. सं.	श्रेणी	पद	उपश्रेणी				
			उत्तराखण्ड महिला	पूर्व सैनिक	स्वतंत्रता संग्राम सैनिकी के आश्रित	दिव्यांगजन	अनाथ बच्चे
1	अनारक्षित	01	—	—	—	—	—
2	अनुसूचित जाति	01	—	—	—	—	—
3	अनुसूचित जनजाति	—	—	—	—	—	—
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	—	—	—	—	—
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	—	—	—	—	—	—
कुल		03	00	00	00	00	00

नोट:— 1. रिक्तियों की संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है।

2. उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक-05.06.2023 में वैज्ञानिक अधिकारी (विधि विज्ञान प्रयोगशाला) के पद हेतु दिव्यांगजन की चिह्नांकित उपश्रेणियां HH/PD, OL निर्धारित है। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त चिन्हित उपश्रेणियों के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उपश्रेणियों से संबन्धित अभ्यर्थी प्रश्नगत पदों के सापेक्ष आवेदन नहीं कर सकते हैं।

03. अनिवार्य शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताएं:—

(A) पदवार/अनुभागवार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता—

(1) वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी तथा प्राक्षेपिकी अनुभाग) 01 पद (अनुसूचित जाति)

SCIENTIFIC OFFICER (PHYSICS AND BALLISTICS SECTION)

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) में एम0एससी0 तथा स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में भौतिकी या रसायन विज्ञान उत्तीर्ण।

(M.Sc in Physics or M.Sc in Forensic Science with Physics or Chemistry as one of the Subject at Graduation level from a recognized University.)

(ख) विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव।

(At least 05 years Analytical experience in a Forensic Science laboratory or Institute.)

(2) वैज्ञानिक अधिकारी (प्रलेख परीक्षण अनुभाग) 01 पद (अन्य पिछडा वर्ग)

SCIENTIFIC OFFICER (DOCUMENT EXAMINATION SECTION)

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान में एम0एससी0 या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) में एम0एससी0 के साथ फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट्स में स्पेशलाइजेशन तथा स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान उत्तीर्ण।

(M.Sc in Physics/Chemistry or M.Sc in Forensic Science with Specialization in Forensic Documents and passed Physics or Chemistry as one of the Subject at Graduation level from a recognized University.)

(ख) विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव।

(At least 05 years Analytical experience in a Forensic Science laboratory or Institute.)

(3) वैज्ञानिक अधिकारी (कम्प्यूटर फॉरेंसिक अनुभाग) 01 पद (अनारक्षित)

SCIENTIFIC OFFICER (COMPUTER FORENSICS SECTION)

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में एम0एससी0 अथवा एम0सी0ए0 उत्तीर्ण।

(M.Sc in Computer Science or MCA from a recognized University.)

(ख) विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव।

(At least 05 years Analytical experience in a Forensic Science laboratory or Institute.)

(B) अधिमानी अर्हता:—

1. सम्बन्धित क्षेत्र में पीएचडी किया हो।
(Ph.D. in the relevant discipline)
2. विधि विज्ञान के सम्बन्धित क्षेत्र में परीक्षण कार्य एवं शोध का अनुभव।
(Experience of analysis work and research in the relevant field of Forensic Science.)

(C) अन्य अधिमानी अर्हताएं – अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने –

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

नोट:— 1. अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष के विश्लेषणात्मक अनुभव का प्रमाण पत्र **“परिशिष्ट-4(क)”** एवं विधि विज्ञान के सम्बन्धित क्षेत्र में परीक्षण कार्य एवं शोध के अनुभव संबंधी अधिमानी अर्हता का प्रमाणपत्र **परिशिष्ट-4(ख)** के निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अन्य प्रारूपों पर उपलब्ध कराया गया प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. एक से अधिक अनुभागों हेतु आवेदन करने की दशा में प्रत्येक आवेदित पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अधिमानी अर्हता से संबंधित अनुभव के दावे के संबंध में **“परिशिष्ट-4(क)”** एवं **“परिशिष्ट-4(ख)”** पर दिये गये प्रारूप के अनुसार पृथक-पृथक प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

3. वैज्ञानिक अधिकारी पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान से संबंधित क्षेत्र का अनुभव मान्य होगा। इसके अतिरिक्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान के अन्तर्गत केवल सार्वजनिक/राजकीय प्रयोगशाला या संस्थान द्वारा प्रदत्त अनुभव प्रमाण पत्र तथा अनुभव का स्वरूप स्थाई/नियमित अथवा अस्थायी/अंशकालिक/संविदा/अतिथि फैकल्टी/मानदेय पर आधारित अनुभव ही मान्य है।

04. वेतनमान:— रू0 56,100–1,77,500 / –(मेट्रिक लेवल–10)

05. पद का स्वरूप व पेंशन योजना:— राजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त

06. आयु सीमा:-

(1) आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की विनिश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2025 है। अभ्यर्थी 01 जुलाई, 2025 को न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 2004 के पश्चात् व 02 जुलाई 1983 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(2) उच्चतम आयु सीमा में छूट:- विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी।

- (i) उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश सं० 1399 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
- (ii) उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश सं० 1244/xxx(2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह "क" तथा "ख" के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
- (iii) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश सं० 1244/xxx(2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
- (iv) शासनादेश संख्या: 17/2/1981-कार्मिक-2, दिनांक 28 फरवरी, 1985 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को जिन्होंने सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, पूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को जिन्होंने सेना में कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट सेवाकाल को आधार मानकर, दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो छः माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले हों परन्तु निम्नलिखित को अनुमन्य नहीं होगी:-
 - (1) जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों,
 - (2) जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जानें वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवामुक्त हुए हों।
- (v) उत्तराखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारी सेवा नियमावली-2016 के नियम- 10 में उल्लिखित प्राविधानुसार नियुक्ति प्राधिकारी, किसी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो पहले से ही किसी राज्य सरकार या संघ सरकार की किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सेवारत हो, ऐसी प्रयोगशालाओं में की गई सेवा अवधि के लिए जो अधिकतम पांच वर्ष तक होगी, उच्चतर आयु सीमा शिथिल कर सकते हैं।

07. राष्ट्रीयता: वैज्ञानिक अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी:—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:— ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु ना तो वह जारी किया गया हो और ना देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

08. चरित्र:— वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

09. वैवाहिक प्रास्थिति:— वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो; सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होंगे:

परन्तु यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

10. शारीरिक स्वस्थता:—किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना न हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित

किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाय।

11. आरक्षण:—उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांग, उत्तराखण्ड महिला, उत्तराखण्ड के अनाथ, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी तथा उनके आश्रित एवं उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, महिला, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी तथा उनके आश्रित एवं उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन-पत्र की छायाप्रति सहित अन्य स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ अभिलेख सत्यापन के समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख "परिशिष्ट-3" में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ-पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ-पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत् प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

i. पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ अधिसूचना संख्या-133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासी, सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को ही अनुमन्य होगा।

ii. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (डी0एफ0एफ0) को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

iii. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 09/XXXVI(3)/2023/72(1)/2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम-2022 के प्रस्तर-3(1) व (2) के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

iv. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 179/XXX(2)/2021-30(2)/2019 दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता-पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुयी हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवा में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021 एवं शासनादेश संख्या : 11/XXX(2)/2022-30(2)/2019 दिनांक 16 फरवरी, 2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण-पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

v. उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 208271/XXX(2)/2024-E40510 दिनांक 01 मई, 2024 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम-2024 के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित कुशल खिलाड़ी (केवल ओलम्पिक/विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल में पदक विजेता/प्रतिभाग किये कुशल खिलाड़ी हेतु अनुमन्य) को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

vi. उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या-244/XXXVI(3)/2024/48(1)/2023, दिनांक 18 अगस्त, 2024 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

vii. शासनादेश संख्या : 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिए।

viii. अधिसूचना संख्या : 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07.03.2019 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु के लिए आरक्षण) अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राज्याधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र जिस वर्ष हेतु निर्गत किया जाये, उस वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/ नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत की विकलांगता से संबंधित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत परिशिष्ट-5, 5(1), 5(2) तथा 40 प्रतिशत से कम विकलांगता से संबंधित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत परिशिष्ट-6, 6(1), 6(2) में संलग्न है।

12. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया:-

- (1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in या <https://ukpsc.net.in> पर जायें।
- (2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात <https://ukpsc.net.in> पर जाकर **MenuBar** में **Apply Now** लिंक पर क्लिक करें। **Apply Now** page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात **Apply Now** पर क्लिक करें।

- (3) **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Continue** पर क्लिक करें। **Continue** पर क्लिक करने के पश्चात् फॉर्म पर भरी जानकारी **Confirm Filled Information** फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें।

यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर **Tick** कर **Edit Data** पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

- (4) **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered** **Mobile No** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।
- (5) **Login** करने के पश्चात् Educational Details पर क्लिक कर फॉर्म पर Post Information के अन्तर्गत Post Information में जिस पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं **Tick** करें। एक से अधिक पद के सापेक्ष आवेदन करने की स्थिति में जिस पद/पदों हेतु आवेदन करना चाहते हैं उसके समक्ष **Tick** करें। पद/पदों का चयन करने के उपरान्त चयन किये गये पदों का विवरण Selected Post के अन्तर्गत प्रदर्शित होगा।

फॉर्म पर Educational Qualifications के अन्तर्गत High School, Intermediate, Graduation, etc का विवरण भरकर **Add Education Details** पर क्लिक करें। भरी हुई Education का विवरण **Add Education Details** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। एक से अधिक Education का विवरण भरने की स्थिति में **Clear** पर क्लिक कर **Diploma Graduation/Post Graduation Details etc** में **Qualification Type** में पुनः **Graduation/Post Graduation etc** का चयन कर विवरण भरकर **Add Education Details** पर क्लिक करें। इसी प्रकार फार्म में प्रदर्शित प्रविष्टियां भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें।

- (6) तत्पश्चात् दी गयी Warning का सम्यक अध्ययन कर **Continue** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् **Upload Images** पर क्लिक कर **Photo** एवं **Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo** एवं **Signature** के अपलोड होने के पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को **Tick** करने के बाद **Click here for Final Submission** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् **Print Application Form** पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

- (7) **Final Submission** के उपरान्त आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द **(Cancel)** कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन रद्द **(Cancel)** करने के लिए **Login** कर **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Proceed to Cancel** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Back** बटन पर क्लिक करें। **Proceed to Cancel** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसको की **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द **(cancel)** करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित आगामी समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट: (1) उत्तराखण्ड राज्य में संचालित **स्वैच्छिक/राजकीय** गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी हेतु कोई शुल्क देय नहीं है किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र पर डाटा भरने के बाद **Final Submit** बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(2) **Final Submission** से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म में वापस (**Back**) जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या (**Technical Issue**) के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpline@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं। **Final Submission** के पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् **मोबाइल नम्बर Edit** नहीं किया जा सकता है।

13. संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया:-

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 27 जनवरी, 2026 से दिनांक 5 फरवरी, 2026 तक प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा-निर्देश:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत (Edit/Correction) का लिंक खोला जाएगा।
- (ii) Edit/Correction हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।
- (iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वही अभ्यर्थी अपने ई-मेल आईडी0 एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर पायेंगे।
- (iv) लॉग-इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (**मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 को छोड़कर**) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
- (v) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।
- (vi) Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।
- (vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- (viii) अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

14. आवेदन शुल्क:- प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र **Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI Payment** के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित

शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका ऑनलाइन आवेदन अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को **Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI payment** के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र०सं० (S.No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन शुल्क (Application Fee)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fee)	कुल शुल्क (Total Fee)
01.	अनारक्षित	रु० 150	रु० 16.36	रु० 166.36
02.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रु० 150	रु० 16.36	रु० 166.36
03.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	रु० 60	रु० 16.36	रु० 76.36
04.	उत्तराखण्ड के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु० 150	रु० 16.36	रु० 166.36
05.	शारीरिक दिव्यांग	कोई शुल्क नहीं	रु० 16.36	रु० 16.36
06.	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

नोट:-

- उत्तराखण्ड राज्य के पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तराखण्ड महिला, कुशल खिलाड़ी एवं राज्य आंदोलनकारी के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी यथा अनारक्षित या आर्थिक कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, उसे उस श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- शासन के पत्र संख्या 232, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के क्रम में विज्ञापित पदों के सापेक्ष चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क में छूट अनुमन्य होगी किन्तु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित रु 16.36 देय होगा।
- परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा, उसे निरस्त माना जायेगा।
- उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।
- जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी का वापस नहीं होगा।

15. अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा/स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश:-

(I) आवेदन-पत्रों की सन्निरीक्षा

- (01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों

एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन-2016 और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2022 (समय-समय पर यथासंशोधित), आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

(03) ऑनलाइन आवेदन-पत्र की छायाप्रति के साथ समस्त वांछित अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को आयोग कार्यालय में जमा किए जायेंगे। आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं:-

- (i) अभ्यर्थी द्वारा जन्मतिथि हेतु हाईस्कूल (मैट्रीकुलेशन/समकक्ष) का अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र/उपाधि प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (ii) अभ्यर्थियों द्वारा दावित अधिमानी अर्हता के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की दशा में ही अधिमानी अर्हता का लाभ अनुमन्य किया जायेगा। सम्बन्धित अभिलेखों के आधार पर उसकी अर्हता के सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
- (iii) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् का जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (iv) अभ्यर्थी द्वारा दावित आरक्षण श्रेणी अथवा अधिकतम आयु सीमा में छूट अथवा विज्ञापन में दावित किसी अन्य तथ्य की पुष्टि हेतु अभ्यर्थी से स्थाई/अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। स्थाई/अधिवास प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (v) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथा समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को सन्निरीक्षा टीप में औपबन्धिक अर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा तथा प्रश्नगत परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम घोषित होने तक विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थियों का चयन परिणाम औपबन्धिक रूप से घोषित किया जायेगा।

- (vi) यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण- पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(II) स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु निर्देश:-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र अधिक संख्या में प्राप्त होने पर साक्षात्कार परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी के दृष्टिकोण से आयोग द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत् है-

- (1) अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाइन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जायेगी।
- (2) वैज्ञानिक अधिकारी हेतु विषयवार / अनुभागवार स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परिशिष्ट-1 में उल्लिखित पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, जिसमें 02 घंटे की समयावधि में 200 अंको के 100 प्रश्नों का उत्तर दिया जाना निर्धारित है। प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।
- (3) गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन - वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जायेगा-
 - (क) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प उत्तर के रूप में रहेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई ऋणात्मक मूल्यांकन के रूप में काटा जायेगा।
 - (ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही इनमें उनमें से कोई उत्तर सही ही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, तथा इस हेतु ऋणात्मक मूल्यांकन स्वरूप संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई काटा जायेगा।
 - (ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।
- (4) उत्तर कुंजी आपत्ति- वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्रों से सम्बन्धित उत्तरकुंजी पर आपत्ति के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- (5) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।
- (6) अँगूठे का निशान (Thumb Impression):-

सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।
- (7) यदि प्रश्न पत्र के किसी प्रश्नांश में प्रत्यक्ष त्रुटि, अस्पष्टता या विसंगति अथवा अंग्रेजी

और हिन्दी अनुवाद में विसंगति है, तो ऐसी दशा में अंग्रेजी अनुवाद को मानक माना जाएगा।

- (8) परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले ऑनलाइन प्रवेश-पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (9) स्क्रीनिंग परीक्षा एक क्वालीफाईंग परीक्षा है, जिसके अंक साक्षात्कार के अंकों के साथ जोड़े नहीं जायेंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

(III) साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्देश:-

- (1) स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल एवं सन्निरीक्षा के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों की ही साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की जायेगी।
- (2) साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन-पत्र भर कर ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों से संबंधित शैक्षणिक/आरक्षण/अनुभव/विभागीय अनापत्ति इत्यादि के प्रमाण-पत्र संलग्न कर साक्षात्कार तिथि को आयोग के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (3) आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों का मिलान मूल प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों से साक्षात्कार दिवस में साक्षात्कार से पूर्व किया जायेगा, तत्समय अभ्यर्थी को स्व-प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।
- (4) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।
- (5) साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मैरिट उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2022 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार न्यूनतम अर्हता अंक धारित अभ्यर्थियों को प्रवीणता सूची (मेरिट) में रखा जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गए दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी। चयन परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।

16. सामान्य निर्देश:-

- (1) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन की शर्तों से संतुष्ट हो जाने के पश्चात् ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें। जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
- (2) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये

अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

(3) अधिव्यस्क, अल्पव्यस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(4) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन-पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(5) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**

(6) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन-पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(7) परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या:-374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित "दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश" (परिशिष्ट-5) के अनुसार श्रुतलेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में दिशानिर्देश (परिशिष्ट-6) पर उपलब्ध है।

(8) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं० तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(9) अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाइन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर भी सूचना प्रसारित की जायेगी।

(10) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन-पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(11) परीक्षा केन्द्र/आयोग परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं। **स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।**

(12) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित: कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की

उत्तर-पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश-पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

(13) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013 (यथासंशोधित) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(14) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही: अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(15) परीक्षा भवन/आयोग भवन में आचरण: परीक्षा केन्द्र/कक्ष/आयोग भवन में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा/साक्षात्कार के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए आयोग की आगामी परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) एवं अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

(16) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर-प्रत्रक/उत्तर-पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर-पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर-पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर-पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाण-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा

सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(17) परीक्षा केन्द्र में आचरण – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलाये तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर-पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(18) न्यूनतम अर्हक अंक : उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2022 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मैरिट के आधार पर अगले चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (परिशिष्ट-2) में उल्लिखित है।

(19) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(20) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) एवं पते का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(21) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्पश्चात् से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(22) अभ्यर्थी स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदनपत्र में उल्लिखित आईडी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आईडी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(23) अभ्यर्थी को अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षण में सफल पाया जाये।

(24) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचना वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(25) विज्ञापित पद हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2022 यथा संशोधित में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पृष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

-Sd/-
(जयवर्धन शर्मा)
प्र० सचिव

“परिशिष्ट-1”

Syllabus for Scientific Officer (SO) (Screening Examination-Objective Type)

Number of Total Question: 100
Time Duration: 02 hours

M.M: 200

Physics and Ballistics Division **PART- A : PHYSICS**

Mechanics:

Motion in a plane, cases of uniform velocity and uniform acceleration, Projectile motion, Equations of motion of projectiles, principle problem of exterior ballistics, vacuum trajectory- calculation of various elements, effect of air resistance on trajectory, uniform circular motion, law of conservation of linear momentum and its applications, Dynamics of uniform circular motion, centripetal force and its examples.

E.M.Waves:

Displacement current, E.M. waves and their characteristics, Transverse nature of E.M. wave, Electromagnetic spectrum, Maxwell's equations in free space and linear isotropic media, boundary conditions on the fields at interfaces, scalar and vector potentials, E.M. waves in free space, Poynting vector.

Optics:

Reflection of light, spherical mirrors, mirror formula, refraction of light, Total internal reflection and its applications, Optical fibers, Refraction at spherical surfaces, lenses, Magnification power of a lens, combination of thin lenses in contact.

Optical instruments: Human eye, image formation and accommodation, Microscopes and astronomical telescopes and their magnifying powers. Resolving power of microscopes and telescopes, Polarization, plane polarized light and its uses, circularly polarized light, Elliptically polarized light, Polaroids.

Wave & Acoustics:

Wave motion, Longitudinal and transverse waves, speed of wave motion, displacement relation for a progressive wave, principle of superposition of waves, Reflection of waves, Beats, Doppler effect.

Acoustics: Generation of ultrasonic waves and applications, Piezo electric effect and quartz crystal, energy density of acoustic waves, acoustic intensity, Reflection and transmission of acoustic waves, Acoustics of buildings, reverberation time, Sabine's formula.

Atomic & Molecular Physics: Stern-Gerlach experiments, electron spin, fine structure of hydrogen atom, L-S coupling, j-j coupling, Spectroscopic notations and atomic states, Zeeman effect, Rotational, vibrational and electronic spectra of molecules, Raman effect and molecular structure, Laser Raman spectroscopy, Fluorescence and Phosphorescence, Theory and application of NMR and EPR.

UV and Visible spectrophotometry: types of sources, stability, wavelength selection, filter cells, sampling devices, Lambert and Beers Law, Calibration of instrument, Atomic absorption spectrophotometry.

Lasers: Spontaneous and stimulated emission. Einstein's Coefficients, optical pumping, population inversion; Solid state laser and Gas lasers.

Nuclear Physics:

Basic nuclear properties, semi empirical mass formula and applications, Mass parabolas: Ground state of a deuteron, magnetic moment and non central forces, Meson theory of nuclear forces, salient features of nuclear forces, Shell model of the nucleus- success and limitation, violation of parity in β -decay, r - decay and internal conversion, Mossbauer spectroscopy, Q-value of nuclear reactions, Nuclear fission and fusion, Nuclear reactors.

Solid State Physics:

Crystalline and amorphous structure of matter, Different crystal systems, Methods of determination of crystal structure, X-ray diffraction, Scanning and transmission electron microscope (SEM/TEM); Band theory of solids- conductors, insulators and semi conductors; Thermal properties of solids, specific heat, Debye theory; Magnetism: dia, para and ferro magnetism, superconductivity, Energy dispersive X-ray, Atomic force microscope, Dispersive X-ray analysis (EDX), Wavelength dispersive X-ray analysis (WDX).

Electronic:

Semiconductor devices: diodes, transistors, field effect devices, amplifiers and oscillator circuits, frequency dependence and applications; optoelectronic devices: solar cells, photo-detectors, LED's, Operational amplifiers and their applications.

Logic circuits: OR, AND, NAND, NOT, NOR, XOR gates; Digital techniques and applications: Registers, counters, comparators and similar circuits. Flip-flops: RS, JK, Master- Slave JK, T-type and D-type flip-flops. Half adders and full adders, Decoders, Multiplexers, Encoders, digital comparators, A/D and D/A converters.

PART- B : Forensic Ballistics and Physics

History of fire arms and ammunitions, classifications- shotguns, rifles, revolvers, pistols, carbines, improvised fire arms, Bore and calibre, choke, automatic mechanism in small arms, rifling, primers, propellants, shotgun ball ammunition, head stamp markings, proof firing, various physical ballistic and functional tests of ammunitions, Bullets, Handling of evidence and precautions, factors affecting internal ballistics of projectiles, recoil, base-drag, Yaw, cross-wind force, overturning moments, stability-fix, stabilization and gyroscopic stability, stability factor, nutation and precessional motions of bullets, drift, Magnus effect, Greenhill formula, shape of projectile, ballistic coefficient, use of ballistic tables, projectile velocity determination, Doppler-radar method, Automated system of trajectory computation, limiting velocity, drop of falling bullets, use of lead as bullet material.

Terminal Ballistic-interaction and penetration of various projectiles in various tissues, Threshold velocity for penetration of skin, flesh and bones, threshold energy, casualty criteria, energy density, ricochet, wound ballistics, Temporary and permanent cavities, materials simulating human body, striking velocity, nature of target, tumbling of bullet, effect of instability of bullet, effect of intermediate target. Influence of range, identification of gunshot injuries, characteristics of firing bullets and cartridge cases, comparison microscope, photomicrography, linkage of fire shots with shotguns, Determination of range of firing, factors affecting range of firing, stringing of shots, effect of string on pattern, Cart-wheel pattern, balling, walker's test, IR photography.

Chemical tests for examination of shotgun holes, Gunshot residue, identification of shooter. Reconstruction of events in crimes, firing through glass, determination of directions of firing and sequence of shots. Pellet pattern in various targets.

Instrumentation Techniques: AAS, NAA, ICP-MS, Comparison microscopes, ASV and their applications. Arms act and arms rule 2016.

Evidence collection from crime scene, Homicide, Hanging, Stagnation, write blockers, Imaging of storage media and capturing of volatile evidence in computer fraud and cyber crime, Audio and video, CCTV footage, Paint, Glass, Soil, Fibre, Wildlife crime, Metals identifications, packing and preservation of exhibits, packaging and transportation of digital and electronic evidence, Tool marks, Phenomena of absorption, emission, reflection. Thermal detectors, photographic detectors, photoelectric detectors, Basic concept of atomic spectra, energy levels, quantum numbers, designation of states, selection rules and atomic spectra.

Basic principles and theory of nuclear reactions and radiation, Neutron sources and Neutron Activation Analysis.

Molecular binding, molecular orbital, types of molecular energies, spectra of polyatomic molecules. FTIR, Biometrics and forensic science-face, Iris and retinal imaging, speech recognition, finger prints, Automated Finger Identification System (AFIS), Lip prints, ear prints, Gait pattern, blood stain patterns, Foot prints and footwear impressions and seal impressions, Restoration of erased marks, cast, engraved and punched marks, skid marks, principle and techniques of black and white and coloured Forensic photography, cameras and lenses, working of SLR and DSLR cameras, basics of digital imaging photography, digital photography, photo-morphing, types and videography camera and lenses, basics of video codec and file formats, recording of playback technique of analog video recording, Units of measurements and their conversion, measure of mean, median and mode, Measures of Dispersion, Range, Mean deviation and Standard deviation, Correlation and Regression Analysis, Coefficient of variation, moment, coefficient of Regression, Correlation measurements, Probability theory, Test of significance of attributes, sample test, t-test and comparison of data sets, paired test, chi-square test, F-test for equality of variance, Large sample test, Normal test, Pearson's square test, Derivation, Evaluation of evidence, Transfer of evidence, weight of evidence. Correspondence probabilities, analysis and synthesis of complex waves, anatomy of vocal formats, analysis of vocal sounds, frequency and overtones.

Electronics of audio recording, transmission and playback devices, noise and distortion, voice storage, and preservation, Forensic linguistics: phonetics, morphology, syntax, Semantics, Stylistics, Pragmatics, Script, Orthography and Graphology, difference between language and speech, Psycholinguistics, Neuro linguistics, Sociolinguistics, Scientific approaches; Reliability and admissibility of evidence in the court, Linguistic profile, language register. Discourse analysis: Connivance, acceptance, listening feedback and rejection in the context of Mens-Rea, Narrative, Dialectology, linguistic variety as a geographical marker, Idiolect and speaker characterisation, Phonology, Morphology and word formation processes as individual linguistic abilities.

Various approaches in forensic speaker identification, Instrumental analysis of speech sample, interpretation of result, statistical interpretation of probability scale, Objective

/Subjective methods, discriminating test, closed test, open test, likelihood ratio calculation, concept of test and error identification. Techniques and best practices of examination of audio recording authentication.

Introduction to Video technology: Electronic photography, Scanning, synchronising the analog signal, digital signal processing, colour video, Digital Television standard, HD Video scopes, compression, Image acquisition and recording formats, optical media, Time code, Audio for video, Displays.

Scope recognising CCTV evidence and its nature, types of DVRs, DVR recording, best practices of CCTV evidence, evidence retrieval and storage at scene of crime and laboratory, challenges and precaution at the scene of crime, Legal issues and recommended equipments needed collection, recovery, enhancement, analysis and interpretation of video evidence. Facial image recognition, Vehicle registration plate enhancement, Foreign object detection, Authentication of video evidence, video source identification techniques.

Introduction to nano-particles, nano-tubes, utilisation of nano-technology in analysis of physical evidences, application of nano technology in forensic evidence analysis.

Faults and failure of evidence of Arson and fire due to electrical and mechanical faults/failure, 3-phase electricity and earth faults.

Forensic engineering: Cement, Building materials, steel bars and metal Physics.

Note : Each Multiple choice question shall be of 02 Mark.

Syllabus for Scientific Officer (SO)
(Written Examination-Objective Type)

Number of Total Question: 100

M.M: 200

Time Duration: 02 hours

Document Division

Different Standard books and their writers in handwriting identifications, General materials used in paper manufacturing, chemicals used in safety and security papers, different kinds of inks and general methods of ink preparation and analysis, different types of magnifiers i.e hand magnifiers, illuminated magnifiers, binocular magnifiers and stereoscopic microscope, Various kinds of rays i.e. visible, I R, U V, and principles of infra-red photoscopy.

Methods of Comparison of Questioned Writings and Signatures with the Standard writings and signatures. Procurement of Standard Writings and Signatures for Comparison, Kinds of Forgery, Symptoms of forgery, Erasure and kinds of erasures, method of detection of erasures, Disguise, Examination of Charred Document, definition of terms used in hand writing i.e. movement, skill, speed, natural variations, tremors, shading, alignments. Document photography, basic principles and techniques of black & white and colour photography, UV, IR, transmitted light photography, photomicrography and microphotography, type writing identification and its kinds, different types of defects in type writing and their identification. Identification of features of dot-matrix printers, Ink-jet printers, Laser-jet printers. Various printing processes i.e. letter press, lithography, and intaglio printing and their identifying features. Examination of photocopies and scanned documents, Various security features of Indian Bank Notes of higher denominations, E-passports, Credit/Debit/Smart cards, digitally manipulated documents, detection and decipherment of alteration, additions, overwriting, obliteration and erasures.

Pure Physics:

Motion in a plane, cases of uniform velocity, acceleration, projectile motion, Equation of motion of projectile, uniform circular motion, law of conservation of Linear momentum and its application, dynamics of uniform circular motion centripetal force and its examples.

Displacement current, EM waves and their characteristics, transverse nature of EM waves, electromagnetic spectrum,

Reflection of light, spherical mirrors, mirror formula, refraction of light, total internal reflection and its applications, optical fibres, refraction at spherical surfaces, lenses, magnification power of lens, combination of the lenses in contact.

Human eye, image formation and accommodation, microscopes, astronomical telescopes and their magnifying power, resolving power of microscope and telescopes, polarization, plane polarized light and its uses, circular polarized light, Elliptically

polarized light, Polaroids UV and Visible spectrophotometry, stability wavelength detection, filter, cells, sampling devices, calibration of instrument, atomic absorption spectrophotometry, lasers.

Crystalline and amorphous structure of matter, different crystal systems, methods of determination of crystal structure, X-ray diffraction, scanning and transmission electron microscope (SEM/TEM), superconductivity, energy dispersive-X-ray, dispersive X-ray analysis (EDX), wave length dispersive X-ray analysis (WDX), semiconductor devices-Diodes, transistors, field effect devices, amplifiers and oscillators, circuits, frequency dependence and applications, photo electronic devices, solar cells, photo detectors, LEDs.

Chemistry:

Atomic structure and periodic properties of elements, chemical bonding, IUPAC nomenclature of organic compounds and coordination complexes, principle of stereo chemistry, conformational analysis, isomerism, and chirality, reactive intermediates and organic reaction mechanism, concept of aromaticity, qualitative and quantitative analysis, mole concept, normality, molarity and molality, mole fraction and their calculations,

Transition metals including inner transition metals, coordination chemistry, concept of acid and bases and its application in pH measurements,

Chromatography, Gas Chromatography, HPTLC techniques, general principles of paper chromatography, column chromatography, TLC, X-ray, fluorescence analysis GC-MS, theory and principles of electrophoresis.

Analysis of dyes and pigments, valence bond theory, molecular orbital theory, absorption spectra and magnetic properties of transition metal complexes.

Principle and application of photochemistry, Javlonski diagram, quantum yield, photo-sensitization reactions, Norrish-I& Norrish- II

Basic principles of green chemistry, green reagents, phase transfer and nano crystals, calculation of atom energy and E-factor.

Note: Each Multiple choice question shall be of 02 Mark.

Syllabus for Scientific Officer (SO)
(Screening Examination-Objective Type)

Number of Total Question: 100
Time Duration: 02 hours

M.M: 200

COMPUTER FORENSICS DIVISION

Introduction to Computer Hardware: Various Components of a computer, Motherboard, Processor, Memory, storage Devices and Networking components. Understanding Computer operating Systems (OS), Booting process of computers. Introduction to File Systems and types of File System.

Cyber Crime: Form of Cyber Crime, Internal and External Attacks, Crimes related to Social Media, ATM and Banking Frauds. Data Privacy issues, Packet sniffing, Spoofing, web security.

First responder: role and toolkit. Procedure for search and seizure of digital evidences. Search and Seizure of Volatile and Non-volatile Digital Evidence. Imaging and Hashing Digital Evidence. Analyzing and Recovery of Deleted, Hidden and Altered files.

Windows Systems Artifacts: File Systems, Registry, Event logs, Shortcut files, Executables. Alternate Data Streams (ads), Hidden files, Slack Space. Linux System and Artifacts: Linux file system: Ownership and Permissions, Hidden Files, User Accounts and Logs. Mac OS X systems and Artifacts: System Startup Logs and services, network configuration, hidden directories, system logs and User Artifacts.

Web Browsers: Cookies, Favorites or Bookmarks, Cache, Session Data and Plugins. Email: Types of Email and Protocols. Analysing the Header details and tracking the email, Spoofed Mails. Virtual Machine and Cloud Technology Forensics.

Computer Networking: Digital and Analog Signaling Methods, Network Types and Topologies, Overview of OSI Model and TCP/IP Protocol. Different types of IP Addresses and Classes, Subnet Masks, Subnetting and Supernetting. Network Hardware Devices and Client/Server Computing. Types of Networks-LAN, MAN and WAN. Routers and Routing Protocols.

Network threats and vulnerabilities, Types of network attacks- eavesdropping, spoofing, modification, Cross-site scripting, DNS Spoofing, Routing Table Poisoning, ARP Poisoning, Web jacking.

Attacks on Wireless Networks. Social Engineering Attacks and its types. Packet Sniffing, Types of authentication, Attacks on WEP, WPA and WPA-2 Encryption, fake hotspots.

IP security architecture, Security protocols, IPSec, Web Security- Firewalls, IDS, IDPS. Network Security Applications, Authentication Mechanism: Passwords,

Cryptographic authentication protocol, Kerberos, X.509 LDAP Directory. Digital Signatures. Web Security: Secure Socket Layer (SSL) Encryption, Transport Layer Security (TLS), Secure Electronic Transaction (SET) and Virtual Private Networks (VPN).

Monitoring of computer network and activities, Live Packet Capturing and Analysis. Searching and collection of evidences from the network. Network Intrusion Detection and Analysis. SQL Injection, Event Log analysis- tools and techniques. Investigating network attacks. Evidence collection from Routers other networking devices.

Cloud Technology and its various components: private, public and hybrid cloud. Cloud types; IaaS, PaaS, SaaS. Role of virtualization in enabling the cloud. Technologies and the processes required when deploying web services. Cloud Security Architecture, Secure Cloud based service, Identity and Access Management, Encryption and key Management. Cloud Forensic- collection and analysis of evidence.

Introduction to Mobile Technologies: Asynchronous Transfer Mode (ATM), Wireless Application Protocol (WAP). Cellular technologies- Advanced Mobile Phone System (AMPS), Imode, Time Division Multiple Access (TDMA), Code Division Multiple Access (CDMA) and Global System for Mobile Communication (GSM) and relative strengths. Subscriber Identity Module (SIM), International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Functions of Bluetooth and security issues. Various Generation of Mobile Phone Technologies. Understanding of the mobile phone operating systems- Android, OS, Windows. Understanding of SQLite Databases.

Phone Phreaking, Call tampering, Wireless Hack Walkthrough and Man-in-the-Middle-attacks. Overview of WEP attack. Attacks on WEP, WPA and WPA-2 Encryption, fake hotspots. Wireless Public key Infrastructure. Securing WLAN, WEP Decryption script.

Overview of Mobile Forensics, Seizure and Preservation of mobile phones and PDA. Types of Evidence present in mobile phones- Files present in SIM card, external memory dump and evidences in memory card. Mobile phone evidence extraction process, Data Acquisition Methods-Physical, File System, Logical and Manual Acquisition. Mobile Forensic Investigation Toolkit. Tracking of mobile phone location.

Introduction to Social Media, Security Issues in Social Media, Types of crimes of Social Media- Cyberbullying, Online Grooming, Cyberstalking. Social Media and its impact on Business, Politics, law and Revolutions, Emerging Trends in social media,

Sources for social media evidence, Types of Data Available on social Networking Sites, Different evidence collection methods from social networking sites,

Intelligence gathering from social Media-Tools and technique for intelligence gathering-indirect method, direct method with login, direct method without login. Introduction to cryptography, Symmetric and Asymmetric Cryptosystem Encryption Techniques- Substitutional Cipher and Transpositional Ciphers. Type of keys- public key and private key. Advance Encryption. Techniques and Security Issues. Various type of attacks including Cipher Text-Only attack, Known-Plaintext Attack, Chosen-Plaintext Attack, Chosen-Cipher text Attack. Symmetric Cryptosystem-AES, DES, RC4, Blowfish. Asymmetric Cryptosystems- RSA, DSA, Elliptic Curve cryptography. Introduction to Cryptanalysis-Differential and Linear Cryptanalysis. Hashing Algorithms-MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-3, One-way Hash, Hash Message Authentication Code.

Note : Each Multiple choice question shall be of 02 Mark.

परिशिष्ट-2

वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षा-2025 के सापेक्ष स्क्रीनिंग परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु अर्हकारी अंक

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2022, (समय-समय पर यथासंशोधित) द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है :-

स्क्रीनिंग परीक्षा— स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कराये जाने की दशा में उक्त परीक्षा हेतु निम्नानुसार न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है:-

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी	निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित श्रेणी	35%
2	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी	30%
3	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति श्रेणी	25%

साक्षात्कार परीक्षा— अधिकतम अंक— 100

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी	निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित श्रेणी	45%
2	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी	40%
3	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति श्रेणी	35%

नोट— 1. सम्बन्धित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा।

परिशिष्ट-3

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

(01) उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड की
.....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।
श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका
परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील नगर जिला
..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

मुहर :

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला

मजिस्ट्रेट/सिटी

मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

(02) उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
तहसीलनगर जिला उत्तराखण्ड के राज्य की
..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,
अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में
प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना
संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं
है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथाअथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम
..... तहसील नगर जिलामें
सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला

मजिस्ट्रेट/सिटी

मजिस्ट्रेट/उप जिला

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

(03) उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र

शासनादेश संख्या 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
..सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम
.....तहसील नगर जिला
..उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)
..... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री)/(विवाहित/अविवाहित) और पुत्री के पुत्र/पुत्री उपयांकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम.....

पदनाम

.....

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

(04) उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगजन के लिए प्रमाण-पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – तारीख

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .
.....आयु लिंग पहचान चिन्ह
.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

- d-** गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिशकीय पक्षाघात (फॉलिज)
- (i) दोनों टांगें (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
- (ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
- (iii) दोनों टांगें और बांहें (बी एल ए)–दोनों टांगें और दोनों बांहें प्रभावित
- (iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- (v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- (vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)
- (vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।
- [k-** अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –
- (प) बी – अंधता
(पप) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता
- x-** कम सुनाई देना
- (प) डी–बधिर
(पप) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

- 2-** यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती।वर्ष

. महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। '

3- उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत है।

4- श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- | | | |
|--------|---|----------|
| (प) | एफ-अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (पप) | पी पी-धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (पपप) | एल-उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (पअ) | के सी-घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (अ) | बी-झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (अप) | एस-बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (अपप) | एस टी-खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (अपपप) | डब्लू-चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (पग) | एस ई-देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ग) | एच-सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (गप) | आर डब्लू-पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |

डा0.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा0.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा0.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

अनिवार्य शैक्षिक अर्हता हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र
विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव

कार्यालय का प्रतीक
(यदि उपलब्ध हो)

विभाग/कार्यालय का नाम :.....
विभाग/कार्यालय का पता:.....
राज्य/केन्द्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला/ विश्वविद्यालय/कॉलेज/शोध संस्थान के पंजीकरण का दिनांक :
दूरभाष संख्या :.....
वेबसाइट :.....

सन्दर्भ संख्या :-

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 पुत्र/पुत्री/पति श्री इस राज्य/केन्द्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला/ विश्वविद्यालय/कॉलेज/शोध के कर्मचारी है तथा उनके द्वारा की गई सेवा/विश्लेषणात्मक कार्य का विवरण निम्न प्रकार है :-

पद का नाम	से dd/mm/y y	तक dd/mm/y y	कुल अवधि dd/mm/yy	नियुक्ति की प्रकृति (स्थायी-नियमित/अस्थायी /अंशकालिक/संविदा/ आतिथि फैकल्टी/दैनिक भोगी/मानदेय आधारित आदि)	अनुभव की प्रकृति विशेषता/अनुसंधान का क्षेत्र/तकनीकी/प्रशासन/ अकादमी या अन्य कोई अनुभव (विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव)	वेतनमान एवं अन्तिम आहरित वेतन	कर्तव्य निर्वहन/प्रत्येक पद का संक्षिप्त अनुभव (कृपया विवरण दें, यदि आवश्यकता हो, संलग्न शीट में)	नियुक्ति का स्थान	अन्य
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाये सभी तथ्य राज्य/केन्द्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज/शोध के अभिलेखों के आधार पर सत्य एवं सही हैं।

दिनांक :
स्थान :
अभ्यर्थी का नाम एवं हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर
(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर एवं नाम शब्दों में)

अधिमानी अर्हता हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र
विधि विज्ञान के संबंधित क्षेत्र में परीक्षण कार्य एवं शोध का अनुभव

कार्यालय का प्रतीक
(यदि उपलब्ध हो)

विभाग/कार्यालय का नाम :.....
विभाग/कार्यालय का पता:.....
सार्वजनिक/राजकीय प्रयोगशाला/संस्थान के पंजीकरण का दिनांक :
दूरभाष संख्या :
वेबसाइट :

सन्दर्भ संख्या :-

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु० पुत्र/पुत्री/पति श्री इस विभाग/
सार्वजनिक/राजकीय प्रयोगशाला/संस्थान के कर्मचारी है तथा उनके द्वारा की गई सेवा का विवरण निम्न प्रकार है :-

पद का नाम	से dd/mm/yy	तक dd/mm/yy	कुल अवधि dd/mm/yy	नियुक्ति की प्रकृति (स्थायी-नियमित/अस्थायी /अंशकालिक/संविदा/ आतिथि फ़ैकल्टी/दैनिक भोगी/मानदेय आधारित आदि)	अनुभव की प्रकृति विशेषता/अनुसंधान का क्षेत्र/तकनीकी/प्रशासन /अकादमी या अन्य कोई अनुभव विधि (विधि विज्ञान के संबंधित क्षेत्र में परीक्षण कार्य एवं शोध का अनुभव)	वेतनमान एवं अन्तिम आहरित वेतन	कर्तव्य निर्वहन/प्रत्येक पद का संक्षिप्त अनुभव (कृपया विवरण दें, यदि आवश्यकता हो, संलग्न शीट में)	नियुक्ति का स्थान	अन्य
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाये सभी तथ्य विभाग/ सार्वजनिक/राजकीय प्रयोगशाला/संस्थान के अभिलेखों के आधार पर सत्य एवं सही हैं।

दिनांक :

हस्ताक्षर

स्थान :

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर एवं नाम शब्दों में)

पदनाम व मुहर

अभ्यर्थी का नाम एवं हस्ताक्षर :

EXPERIENCE CERTIFICATE FOR ESSENTIAL QUALIFICATION

At least 05 years Analytical Experience in a Forensic Science Laboratory or Institute

Logo of Office

(If available)

Name of Deptt./Office :.....
 Address of Deptt./Office :.....
 Date of Reg. of State Govt./ Central Forensic Science Laboratory/University/College/Research Institution :
 Telephone No. :.....
 Website :.....

Dated :

Ref. No. -

This is to certify that Shri/Smt./Km. Son/Daughter/Husband of Shri..... is an bonafide employee of this State Govt./ Central Forensic Science Laboratory/University/College/Research Institution and that the duties/Analytical work performed by him are as under:

Name of the post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical /Administration /Academic or any other experience.(At least 05 Year Analytical Experience in a Forensic Science Laboratory or Institute)	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/experience gained in brief in each post (Please give details, if need be, in attached sheet)	Place of posting	Others
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

This is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our State Govt./ Central Forensic Science Laboratory/University/College/Research Institution.

Date :
 Place :
 Name & Signature of Candidate :

Sign
 (Name & Signature of Authorized Signatory in Capital Letters)
 Designation with seal

EXPERIENCE CERTIFICATE FOR PREFERENTIAL QUALIFICATION
Experience of Analysis Work and Research in the Relevent Field of Forensic Science

Logo of Office
(If available)

Name of Deptt./Office :.....
 Address of Deptt./Office :.....
 Date of Reg. of Public/State Laboratory/Institution :
 Telephone No. :.....
 Website :.....

Dated :

Ref. No. -

This is to certify that Shri/Smt./Km. Son/Daughter/Husband of Shri..... is an bonafide employee of this Public/State Laboratory/Institution and that the duties performed by him are as under:

Name of the post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical /Administration /Academic or any other experience.(Experience of Analysis Work and research in the relevent Field of Forensic Science)	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/experience gained in brief in each post (Please give details, if need be, in attached sheet)	Place of posting	Others
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

This is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in Public/State Laboratory/Institution.

Date :

Place :

Sign
 (Name & Signature of Authorized Signatory in Capital Letters)
 Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

परिशिष्ट-5

शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत :-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट-5(1)** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-5(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट-5(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-5(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट-5(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-5(1)** प्रमाण-पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्न-पत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की-बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।
7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
8. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी, उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailer frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।
9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू-तल के निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

-Sd/-

परिशिष्ट-5(1)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs (name of the candidate with disability), a person with (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o, a resident of(Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health care institution

(Name & Designation)

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I, a candidate with(name of the disability) appearing for the(name of the examination) bearing Roll No. at(name of the centre) in the District (name of the State). My qualification is

I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट-6

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात् 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एव/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा परिशिष्ट-6(1) पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।
2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के संबंध में प्रेषित किया जाने वाला परिशिष्ट-6(1) पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र निम्नवत गठित बहु-सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है—
 - i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... अध्यक्ष
 - ii. Orthopaedic/PMR specialist
 - iii. Neurologist (उपलब्धता के आधार पर)
 - iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/ Special Educator
 - v. Occupational therapist. (उपलब्धता के आधार पर)
 - vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।
3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को परिशिष्ट-6(1) प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान-पत्र के साथ परिशिष्ट-6(2) प्रमाण-पत्र एवं परिशिष्ट-6(1) प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक-पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत परिशिष्ट-6(1) प्रमाण-पत्र के बिन्दु संख्या-2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।
7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू-तल पर निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
9. उक्त दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या : 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होंगे।
10. उत्तराखण्ड के बाहर के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को भी, मांगे जाने पर नियमानुसार श्रुतलेखक उपलब्ध कराया जाएगा।

-Sd/-

परिशिष्ट-6 (1)
Appendix-6 (1)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.....(name of the candidate), s/o /D/oa resident of

..... (Vill/PO/PS/District/State), aged..... yrs. a person(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto _____ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

परिशिष्ट-6 (2)
Appendix-6 (2)

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I _____, a candidate with _____ (nature of disability/condition) appearing for the _____ (name of the examination) bearing Roll No. _____ at _____ (name of the center) in the District _____, _____ (name of the State). My educational qualification is _____.

2. I do hereby state that _____ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is _____. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

परिशिष्ट-7
वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड विधि विज्ञान प्रयागशाला परीक्षा – 2025

Check List

पदनाम— वैज्ञानिक अधिकारी

क्र०सं०	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं (हां/नहीं)
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
02	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र/अंकतालिका	
03	स्नातक अंतिम वर्ष की अंकतालिका	
04	स्नातक उपाधि	
05	दावित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के सापेक्ष उपाधि/प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका (समस्त वर्षों/सेमेस्टर की)।	
06	दावित अनिवार्य अनुभव प्रमाण-पत्र (विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव।) (परिशिष्ट-4'क' पर उपलब्ध प्रारूप पर)	
07	अधिमानी अर्हता :- 1.सम्बन्धित क्षेत्र में पीएचडी 2.विधि विज्ञान के सम्बन्धित क्षेत्र में परीक्षण कार्य एवं शोध का अनुभव (परिशिष्ट-4'ख' पर उपलब्ध प्रारूप पर)	
08	अन्य अधिमानी अर्हता (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा। (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र।	
09	आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र।	
10	स्थायी निवास प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	
11	अधिकतम आयुसीमा में छूट लेने की स्थिति में सम्बन्धित प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/दिव्यांगता/भूतपूर्व सैनिक सम्बन्धी प्रमाण-पत्र	
12	किसी संघ/राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कार्यरत अभ्यर्थी द्वारा उच्चतर आयु सीमा में छूट का दावा किया जाने की दशा में वांछित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।	
13	केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र या सेवानियोजक को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र (यदि लागू हो)	
14	अभ्यर्थी के नाम/पिता/पति (वैवाहिक होने की स्थिति में) के नाम विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में। (परिशिष्ट-8 पर उपलब्ध प्रारूप पर)	
15	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ।	
16	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा-आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि मूल रूप से तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा० आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

*यदि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित औपबन्धिक [प्रमाण-पत्र/उपाधि](#) (Provisional Degree Certificate) प्रस्तुत की गई हो, तो ऐसी उपाधि उसमें उल्लिखित अवधि के अनुसार ही वैध माना जायेगा। यदि वैधता की तिथि अंकित नहीं है तो प्रस्तुत किए जाने की तिथि को वैध माना जाएगा।

* अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता, विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है।

* अभ्यर्थी उक्त समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियों को स्वप्रमाणित (Self-attest) अवश्य करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....

परिशिष्ट-8

नाम में भिन्नता के सम्बन्ध में स्वघोषणा

मैं -----(नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे हाईस्कूल अंकतालिका/प्रमाण पत्र में मेरा/पिता/माता का नाम----- अंकित है जबकि निम्नलिखित अभिलेखों में मेरे/पिता/माता के नाम में भिन्नता विद्यमान है।

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

उक्तांकित दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

दिनांक:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर -----

अभ्यर्थी का नाम -----

अनुक्रमांक -----

परीक्षा का नाम -----

